न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 10/22

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 मनोज शर्मा पुत्र हुक्माराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गांव खारी जोधा पो. दुगोली तहसील जायल जिला नागौर। फर्मः– श्याम किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड, जायल जिला नागौर। 2 कमला देवी पत्नी स्व0 कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी पानी की टंकी के पास जायल तहसील जायल जिला नागौर। फर्मः– श्याम किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड, जायल जिला नागौर। 3 अनिल कमार भटड पुत्र सत्यनारायण भटड निवासी रंगौली वाली गली, जैन चौक, नोखा मण्डी जिला बीकानेर। फर्मः– मैंसर्स बाबा रूपनाथ जी फूडस एण्ड स्पाईसेस प्रा. लिमिटेड जयपुर, 2092 रामचन्द्रपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, पूर्णिमा युनिवर्सिटी के पास, सीतापुरा जयपुर–II–302025 4 फर्मः– मैंसर्स बाबा रूपनाथ जी फूडस एण्ड स्पाईसेस प्रा. लिमिटेड जयपुर, 2092 रामचन्द्रपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, पूर्णिमा युनिवर्सिटी के पास, सीतापुरा जयपुर–II–302025

दिनांक :23.05.2022

आदेश

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 16-10-21 को मैसर्स श्याम किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड, जायल जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (बीआरजी ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1611 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/391/एक्ट/2021/223 दिनांक 21.10.21 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना पदार्थ धनिया पाउडर (बीआरजी ब्राण्ड) food containing extraneous matter under section 3(1) (i) food safety and standard act 2006 due to presence of turmeric powder and added starch होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण मनोज शर्मा पुत्र हुक्माराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गांव खारी जोधा पो. दुगोली तहसील जायल जिला नागौर, कमला देवी पत्नी स्व0 कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी पानी की टंकी के पास जायल तहसील जायल जिला नागौर, अनिल कमार भटड पुत्र सत्यनारायण भटड निवासी रंगौली वाली गली, जैन चौक, नोखा मण्डी जिला बीकानेर तथा मैंसर्स बाबा रूपनाथ जी फूडस एण्ड स्पाईसेस प्रा. लिमिटेड जयपुर, 2092 रामचन्द्रपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, पूर्णिमा युनिवर्सिटी के पास, सीतापुरा जयपुर–II–302025 ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 54 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 28-03-22 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री योगेश कुमार शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 14..05.2022 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी दुकान से धनिया का सैम्पल लिया जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। मैं यह धनिया बाबा रूपनाथ फर्म जयपुर से खरीदता हूं। तथा भविष्य में धनिया खरीदते समय गुणवता का ध्यान रखकर तत्पश्चात बेचूंगा। अप्रार्थी संख्या 03 व 04 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने श्याम किराणा स्टोर जायल से जो धनिया का सैम्पल भरा वो मेरी फर्म से पैकिंग किया जाता है, जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृति नहीं होगी। लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करता हूं तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/391/एक्ट/2021/223 दिनांक 21.10.21 के अनुसार खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (बीआरजी ब्राण्ड) का नमूना food containing extraneous matter under section 3(1) (i) food safety and standard act 2006 due to presence of turmeric powder and added starch होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 मनोज

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

शर्मा पुत्र हुक्माराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गांव खारी जोधा पो. दुगोली तहसील जायल जिला नागौर एव अप्रार्थी संख्या 02 कमला देवी पत्नी स्व0 कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी पानी की टंकी के पास जायल तहसील जायल जिला नागौर, पर संयुक्त रूप से रूपये 10,000/- अक्षरे दस हजार रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 03 अनिल कमार भटड पुत्र सत्यनारायण भटड निवासी रंगौली वाली गली, जैन चौक, नोखा मण्डी जिला बीकानेर तथा अप्रार्थी संख्या 04 मैंसर्स बाबा रूपनाथ जी फूडस एण्ड स्पाईसेस प्रा. लिमिटेड जयपुर, 2092 रामचन्द्रपुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, पूर्णिमा युनिवर्सिटी के पास, सीतापुरा जयपुर-II-302025 पर संयुक्त रूप से रूपये 10,000/- अक्षरे दस हजार रूपये, कुल 20,000/- अक्षरे बीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)